COURT FEE 20रु. Rs.20 बीस रुपये TWENTY RUPEES भारत INDIA
COURT FEE 10रु. Rs.10 दस रुपये TEN RUPEES भारत INDIA

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर म0 प्र0

R 659-PBR-17

भगवतीलाल पिता गंगाराम जी पाटीदार आयु 35 वर्ष
धंधा खेती निवासी ग्राम उटावदा तह व जिला धार म0 प्र0

.... निगरानीकर्ता

बनाम

देवीसिह पिता पीराजी जाति भील आयु 70 वर्ष
धंधा खेती निवासी ग्राम उटावदा तह व जिला धार म0 प्र0

.... विपक्षी

द्वारा आज दि. 16.2.17 को प्रस्तुत

निगरानी अर्ज धारा 50 म0 प्र0 भू0 रा0 सं0 अनुसार

मान्यवर महोदय,

मुझ निगरानीकर्ता की और से निवेदन है कि :–

यह कि भूमि ग्राम उटावदा पटवारी हल्का कमांक 3 विकास खण्ड तिरला जिला धार के प्रकरण कमांक 1 अ–13/2015–16 देवीसिह विरूद्व भगवतीलाल मे दिनांक 28/12/2016 को हुए अंतरिम आदेश से असंतुष्ट व दुखी होकर उक्त निगरानी नकल के दिन मुजरेजाते अंदर अवधि प्रस्तुत है ।

प्रकरण के तथ्य

1. यह कि मुझ निगरानीकर्ता व विपक्षी दोनो ही ग्राम उटावदा मे पटवारी हल्का कमांक 3 विकास खण्ड तिरला जिला धार मे निवास करते होकर कृषक है कृषि कार्य करते है , कृषि का ततबा रखते है ।

2. यह कि विपक्षी देवीसिह ने दुंभावना पूर्वक एक आवेदन धारा 131,32 म0 प्र0 भू0 रा0 संहिता एवं पृथक से एक आवेदन धारा 32 म0 प्र0 भू0 रा0 संहिता का प्रस्तुत कर निवेदन किया की निगरानीकर्ता के द्वारा उसके भूमि सर्वे कमांक 173/3 रकबा 0.101 है0 मे आने व जाने का वहीवटी रास्ते पर भूमि सर्वे कमांक 184 से शासकिय सर्वे कमांक 174 मे से होकर आने व जाने का रास्ता है ।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 659/पीबीआर/17 जिला धार

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
02.04.2019	प्रकरण का अवलोकन किया गया। आवेदक की ओर से श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी, अभिभाषक एवं अनावेदक की ओर से श्री विनोद भार्गव, अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। दिनांक 25.09.2018 से भू-राजस्व संहिता संशोधन 2018 प्रभावशील हो जाने से अब तहसील न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश की पुनरीक्षण का निराकरण मण्डल द्वारा नहीं किया जाकर कलेक्टर द्वारा किया जाना है। अतः संहिता की संशोधित धारा 50 सहपठित धारा 54(a) के तहत यह प्रकरण निराकरण हेतु कलेक्टर, धार को अंतरित किया जाता है। उभय पक्ष सूचित हो। **अध्यक्ष**	